द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2025 (GCMS/2025/0101)
पंजीयन दिनांक - 16.05.2025
आदेश दिनांक - 16.07.2025

श्री नरेन्द्र सिंघवी निवासी 66 के सहेली मार्ग प्रथम तल अंदर सहेलियों की बाड़ी, जिला उदयपुर

बनाम प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या (सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012)/01/24 दिनांक 22.04.2025

निर्णय

दिनांक 16.07.2025

- श्री नरेन्द्र सिंघवी निवासी 66 के सहेली मार्ग प्रथम तल अंदर सहेलियों की बाड़ी, जिला उदयपुर ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 22.04.2025 से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

- अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक आवासीय भूमि खसरा नम्बर 7049/6064, 6095 तथा 7043/6096 गांव काया में श्री विवेक कटारा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी तथा दिनांक 21.10.2009 के राजस्व रिकोर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1272 अमल दरामद हुई। उक्त भूमि का कृषि से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उदयपुर की अनापत्ति प्रमाण पत्र जरिये पत्रांक 3088 दिनारंक 27.08.2009 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा किया गया। नायब तहसीलदार, बारापाल द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना 12 वर्ष बाद दिनांक 25/26.08.2021 को नामान्तरकरण को परिवर्तन कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि दिये बिना भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाना प्रभाव से शुन्य है। अपीलार्थी नामान्तरकरण निरस्त करा भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराना चाहता है जिससे सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत संभव नहीं होने से अपीलार्थी नामांतरकरण की कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने से अपीलार्थी की प्रथम अपील खारिज की गयी जिससे व्यथित होकर द्वितीय अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- यह द्वितीय अपील दर्ज रजिस्टर कर कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर से अभिलेख मय टिप्पणी चाही गयी। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तलब किया गया।

- हमने अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुना। अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की अपीलार्थी की क्रय शुदा भूमि का कुछ हिस्सा एन.एच.ए.आई. के नाम उपतहसीलदार, बारापाल द्वारा बिना सुने, बिना नोटिस 12 वर्ष पश्चात बिना आधार पर (नामान्तरकरण संख्या 2041 दिनांक 26.08.2021) परिवर्तन की गयी है। प्रकरण में बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा अपनी क्रय शुदा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने तथा भूमि का कब्जा अपीलार्थी के पास होने से रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने हेतु अनुरोध किया गया।

- अपीलार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत द्वितीय अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत की है जिसमें मुख्य आक्षेप उपतहसीलदार, बारापाल द्वारा पारित नामान्तरकरण के विरूद्ध है।

- *उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण एक अर्द्ध न्यायिक (quasi judicial) प्रक्रिया होकर इसके संबंध में अनुतोष अपील सक्षम न्यायालय के जरिये ही संभव है। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 22.04.2025 में प्रदत्त निर्देश प्रक्रिया अनुरूप सक्षम न्यायालय में मय साक्ष्य अपील प्रस्तुत करें।*

- उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 22.04.2025 में कोई वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः—

1. श्री नरेन्द्र सिंघवी, निवासी 66 के सहेली मार्ग, प्रथम तल अंदर सहेलियों की बाड़ी, जिला उदयपुर
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर